न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

क्रमांक :– रीडर / 2024 / 380

दिनांक :– 01.5.2024

प्रेषिति : – तहसीलदार (भू.अ.)

टिब्बी।

विषय :– प्रकरण संख्या 156 / 2023 बलविन्द्र बनाम् मीना कुमारी अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. में पारित निर्णय दिनांक 30.4.2024 की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि प्रार्थीगण बलविन्द्र सिंह व सुरेन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. प्रस्तुत करनें पर प्रकरण में दिनांक 30.4.2024 को निर्णय पारित किया गया।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक नम्बर 1 एफ.टी.पी.–बी के पत्थर नम्बर 204 / 233(26) किला नम्बर 3 के पश्चिमी दिशा में 12 फ ुट चौड़ा व 148½ फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन करने के आदेश दिये जाते है। रास्ते में आई भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि पत्थर नम्बर 204 / 233(26) किला नम्बर 8 के उतरी दिशा में से उतनी ही भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज की जाकर चक नम्बर 1 एफ.टी.पी.–बी के खाता संख्या 69 / 49 में से प्रार्थीगण का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.08 11:22:51 IST
Reason: SelfAttested

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner